

## 1 वेतनमान

आईडीए (औद्योगिक महुँगाई भत्ता) वेतन पैटर्न के आधार पर कामगार से लेकर कार्यपालक निदेशक तक के स्तर तक के विभिन्न संवगो के कर्मचारियों के लिए निगम के वेतनमान निम्न प्रकार से है:-

### (A) करगार प्रभावी 01.01.2017

ग्रेड	वेतनमान
डबल्यू-0	19500-3%-57500
डबल्यू -1	22000-3%-68000
डबल्यू -2	23000-3%-72000
डबल्यू -3	24000-3%-74000
डबल्यू -4	25000-3%-85000
डबल्यू -5	26000-3%-100000
डबल्यू -6	27000-3%-105000
डबल्यू -7	28000-3%-108000
डबल्यू -8	28500-3%-118000
डबल्यू -9	29000-3%-119000
डबल्यू -10	29500-3%-119400

### (B) पर्यवेक्षक प्रभावी 01.01.2017

ग्रेड	वेतनमान
एस-1	29600-3%-119500
एस-2	29700-3%-119600
एस-3	29800-3%-119700
एस-4	29900-3%-119900

### (C) कार्यपालक प्रभावी 01.01.2017

ग्रेड	वेतनमान
ई-0	30000-3%-120000
ई-1	40000-3%-140000
ई-2	50000-3%-160000
ई-3	60000-3%-180000
ई-4	70000-3%-200000
ई-5	80000-3%-220000
ई-6	90000-3%-240000
ई-7	100000-3%-260000
ई-8	120000-3%-280000
ई-9	150000-3%-300000

## वेतनवृद्धिया

निम्नांकित तारीखों के बीच नियुक्त/ पदोन्नत कर्मचारी	वेतनवृद्धि की मानक तारीख
01 जनवरी और 30 जून	01 जनवरी
01 जुलाई और 31 दिसंबर	01 जुलाई

पहली वेतनवृद्धि उस महीने की 01 तारीख को दी जाएगी जिस महीने में परिवीक्षा अवधि पूरी को हो |

### 2 महँगाई भत्ता

01.01.2017 को संशोधित वेतनमान में महँगाई भत्ता शून्य होगा | 01.04.2017 से महँगाई भत्ते का भुगतान निम्नांकित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-

- 1 महँगाई भत्ते की किश्ते वर्ष में चार बार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर से जारी की जाएगी |
- 2 महँगाई भत्ते का भुगतान क्रमशः फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर में समाप्त हुई तिमाहियों के लिए अखिल भारतीय उपभोगता मुल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में, एआईसीपीआई 277.33 (आधार 2001 =100) पर औसत प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर किया जाएगा |

### 3 अन्य लाभ और भत्ते

#### केफेटेरिया

#### कार्यपालको, पर्यवेक्षों और कामगारों के लिए

निम्नांकित लाभ और भत्ते 01.01.2017 से लागू संशोधित मूल वेतन के 35% का हिस्सा होंगे |

क्रं. सं.	लाभ और भत्ते	संशोधित मूल वेतन का अधिकतम प्रतिशत		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार
1	Canteen Allowance / Meal Vouchers	7%	7%	7%
2	Children Education Allowance Hostel Subsidy	15% 10%	15% 10%	15% 10%
3	Professional Updation Allowance	10%	10%	10%
4	Transport Allowance	13%	13%	13%
5	Washing Allowance	5%	5%	5%
6	Vehicle repair and maintenance Allowance	5%	5%	5%
7	Domestic Help Allowance	10%	10%	10%
8	Electricity Allowance	10%	10%	10%

**वेतन और भत्ते**  
(सचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत)



9	Newspaper/ Professional Literature Allowance	5%	5%	5%
10	Driver Allowance	10%	10%	10%
11	House Upkeep Allowance	5%	5%	5%
12	Self Development Allowance	15%	15%	15%
13	Club Membership Allowance	10%	10%	10%
14	Gardener Allowance	10%	10%	10%
15	LTC Allowance	15%	15%	15%
16	Family Planning Allowance	3%	6%	9%

**4 नॉन प्रक्टिसिंग भत्ता (एनपीए)**

डॉक्टरों को मूलवेतन का 20% की दर से नॉन प्रक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) दिया जाएगा।

**5 मकान किराया भत्ता (एचआरए)**

शहरों का वर्गीकरण	एचआरए की दरें
X क्लास (50 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या)	मूल वेतन का 27%
Y क्लास (5 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या)	मूल वेतन का 18%
Z क्लास (5 लाख से केएम की जनसंख्या)	मूल वेतन का 9%

\* भारत सरकार द्वारा शहरों के वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण।

मकान किराया भत्ते की दरों को एक्स, वाई और जेड क्लास शहरों के लिए संशोधित करके 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा जब आईडीए 50% से अधिक हो जाएगा।

**6 पट्टा युक्त आवास**

कंपनी के कार्यपालको को तृतीय पक्ष आवास पट्टा और स्व-पक्ष आवास के रूप में कंपनी पट्टा आवास की सुविधा प्रदान की जाती है।

कंपनी पट्टा आवास के लिए संशोधित मासिक किराया सीमा निम्नांकित अनुसार होगी।

ग्रेड	मकान किराया भत्ते के लिए भारत सरकार के वर्गीकरण अनुसार		
	X	Y	Z
E-0	23630	15750	7880
E-1	28350	18900	9450
E-2	33080	22050	11030
E-3	37800	25200	12600
E-4	42530	28350	14180
E-5	47250	31500	15750
E-6	51980	34650	17330
E-7	56700	37800	18900
E-8	63000	42000	21000

वेतन और भत्ते  
(सचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत)



E-9	70880	47250	23630
-----	-------	-------	-------

भाग-I कार्यालय आदेश संख्या. 16/2012 दिनांक 01.03.2012 के अनुसार किराया निर्धारण समिति (आरएसी) द्वारा निर्धारित लीज किराया उपरोक्त अधिसूचित वर्तमान लीज किराया हकदारी सीमा से अधिक नहीं होगी।